न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 91/2016

अपीलान्ट

1 शांतिदेवी पत्नी लक्ष्मणराम
2 ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम
3 नेमीचन्द पुत्र लक्ष्मणराम गुरू
4 जैराम पुत्र मोतीराम कुम्हार निवासीगण बलून्दा तहसील जैतारण

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 भैराराम पुत्र नैनाराम कुमावत
2 बाबूलाल पुत्र घीसाराम माली
3 मदनलाल पुत्र घीसाराम माली
4 केसरी पत्नी घीसाराम माली
5 भंवरलाल पुत्र हेमाराम माली
6 रामलाल पुत्र हेमाराम माली
7 पानकी पत्नी हेमाराम माली
8 बिरदाराम पुत्र मोतीराम
9 घीसाराम पुत्र मोतीराम
10 उगमाराम पुत्र छोगाराम
11 धर्माराम पुत्र छोगाराम
12 लिछमणराम पुत्र छोगाराम
13 बालूराम पुत्र गुदडराम
14 गेपरराम पुत्र गुदडराम
15 पाबूराम पुत्र गुदडराम
16 पूनाराम पुत्र गुदडराम
17 लाबूराम पुत्र गुदडराम
18 शिवा पुत्र गुदडराम के का0मु0
18.1 ओमप्रकाश पुत्र शिवा
19 लालराम पुत्र बिरदाराम
20 रतनलाल पुत्र बिरदाराम
21 ओमप्रकाश पुत्र बिरदाराम
22 पन्नालाल पुत्र बिरदाराम
23 मांग पुत्र हजारीराम
24 बींजा पुत्र हजारीराम जातिगण कुम्हार निवासीगण बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली
25 तहसीलदार जैतारण जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 24

सरकारी पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 25 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 21.3.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 78/2016 बअनवान भैराराम वगैरा बनाम शांतिदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुए भी सुविधाजनक रूप से अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2073, 2074, 2075 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे 12 फीट चौडाई में 09 बिस्वा भूमि रास्ता हेतु प्रदान करने का आदेश पारित किया। जबकि सन्दर्भित धारा में यह स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने पर ही रास्ता प्रदान किया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के सुविधाजनक उपयोग के लिए अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता प्रदान किया गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह जाहिर किया कि अपीलाण्ट द्वारा उनके रास्ते की भूमि में खन्दक लगा कर रास्ता अवरूद्ध किया है, यह गलत है। मौके पर किसी प्रकार का रास्ता सुचारू नहीं था, अपीलाण्ट द्वारा अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु बाड, खन्दक, मेड आदि लगाई जाती है, इसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जो नोटिस जारी किया गया, वह उपखण्ड कार्यालय जैतारण में उपस्थित होने का था। राजस्व लोक अदालत कैम्प बलून्दा में उपस्थित होने हेतु अपीलाण्ट को न तो नोटिस जारी किया गया एवं न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई। इस कारण अपीलाण्ट कैम्प में उपस्थित नहीं हुए। इस पर कैम्प बलून्दा एवं आनन्दपुर कालू में अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रेस्पोडेन्ट्स को रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। प्रकरण में तहसीलदार जैतारण

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से रिपोर्ट तलब ही नहीं की, फिर भी दिनांक 20.05.2016 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट पत्रावली के संलग्न की गई। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें भी मौके पर पक्षकारान् को उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की भूमि में आवागमन हेतु चारागाह भूमि में से रास्ता है, जिसमें से वे आते जाते है। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि जहां वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो, वहां सुविधाजनक मार्ग नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया, उसमें किसी खसरे में से कितनी भूमि रास्ते हेतु प्रदान की गई, उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिये बिना, अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया, किन्तु अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प बलून्दा में नियत किया गया, जिसमें अपीलाण्ट को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया, अपीलाण्ट बलून्दा के ही निवासी है तथा कैम्प में उपस्थित भी हुए, किन्तु हस्ताक्षर नहीं किए। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट की भूमि जैतारण मेडता सड़क से लगते हुए है तथा मेरी खातेदारी भूमि से निकटतम मार्ग अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि से होकर सड़क से मिलता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट तलब की हैं, उसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट्स की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट को कैम्प में उपस्थित होने हेतु दिनांक 10.05.2016 को नोटिस जारी किए गए है, जो बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न है। सम्पूर्ण कार्यवाही मजमें आम में हुई है, इससे अधिक पारदर्शितापूर्ण कार्यवाही हो ही नहीं सकती थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अपीलाण्ट द्वारा तकनीकि बिन्दुओं को आधार बनाते हुए यह अपील प्रस्तुत की है तथा जैर अपील आदेश को अपास्त कराने का अनुतोष चाहा है, जबकि सन्दर्भित धारा में तकनीकि बिन्दुओं के विस्तृत विवेचन के प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भूमि की कीमत/मुआवजा राशि तहसीलदार के समक्ष जमा करवाया है। आदेशानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही हो चुकी है, इस कारण अब अपील स्वीकार किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बाहर प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम बलून्दा के खसरा नम्बर 2072, 2082, 2071, 2066, 2070, 2065, 2081, 2133, 2093, 2083, 2087, 2086 व 2092 की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2073, 2074 व 2075 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा जो नोटिस जारी किए गए, वे दिनांक 20.05.2016 अदालत हाजा में उपस्थित होने हेतु जारी किए गए, न कि राजस्व लोक अदालत कैम्प बलून्दा में। इसके पश्चात कैम्प बलून्दा में पत्रावली दिनांक 01.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प आनन्दपुर कालू में नियत की गई, जिसकी भी अपीलाण्ट्स को किसी भी प्रकार से सूचना नहीं दी गई तथा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का बलून्दा द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में पटवारी हल्का बलून्दा द्वारा दिनांक 20.05.2016 को जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग एवं निकटतम एवं लघुतम मार्ग के आज्ञापक सिद्धान्तों पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की एवं न ही उसे रेखांकित किया। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में इन तथ्यों की किसी प्रकार से जांच नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जो नोटिस जारी किए गए, वे मुख्यालय जैतारण में उपस्थित होने हेतु थे, जबकि पत्रावली नियत दिनांक को कैम्प बलून्दा एवं उसके पश्चात कैम्प आनन्दपुर कालू में रखी गई, जिसकी अपीलाण्ट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

गई तथा विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट की अनुपस्थिति अंकित करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही कर जैर अपील आदेश पारित किया गया। यह स्थिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार न्याय के साथ खिलवाड (Travesty of Justice) की श्रेणी में परिलक्षित होती है। यह सुस्थापित तथ्य है कि धारा 251ए के तहत संक्षित प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए, किन्तु संक्षिप्त प्रक्रिया की आड में पक्षकारान् के हितो पर कुठाराघात किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जांच नहीं की गई एवं न ही प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की गई है, जिसके कारण जैर अपील आदेश समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 78/2016 बअनवान भैराराम वगैरा बनाम शांतिदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली